न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित– श्री राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–350/2026

आदेश की तिथिः– 29.08.2026

रवीन्द्र कुमार व अन्य ..... पुनरीक्षणकर्तागण।

बनाम

1. बिहार सरकार
2. जितेन्द्र कुमार गुप्ता ..... विपक्षीगण।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर सेः– श्री सर्वेश्वर तिवारी, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी की ओर सेः– श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता
अभियोजन की ओर सेः– श्री अरविन्द्र कुमार, सिंह विद्वान अपर लोक अभियोजक

आदेश

29.08.2026 यह पुनरीक्षण वाद के पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438/440 के तहत श्री मो0 गुलाम रसुल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा परिवाद वाद संख्या–10841(सी)/2025 में दिनांक 27.01.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण को नोटिस दिए बिना और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) का उल्लंघन करते हुए एकतरफा संज्ञान आदेश पारित किया गया है।

2. शिकायकत पत्र के अनुसार परिवादी का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि परिवादी पांच भाई है तथा माता बागेश्वरी देवी सरकारी सेवा में थी। परिवादी एवं अन्य भाइयों तथा माता–पिता के संयुक्त अर्जित संपत्ति से 21.01.1992 को मौजा दीघा, थाना–फुलवारीशरीफ, वर्तमान थाना राजीवनगर, जिला पटना में थाना नं0–1, तौजी नं0 5174, खाता नं0–1006, सर्वे प्लॉट नं.–2328, सर्कल नं0 268, वार्ड नं0–2 में कुल एराजी 2 कट्ठा जमीन परिवादी के माता बागेश्वरी देवी के नाम से लेख्यकारी मदन प्रसाद(बाबा गोरखनाथ सोसाइटी) से खरीद की गई और संयुक्त अर्जित संपत्ति में से रकबा एक कट्ठा में मकान का निर्माण कराया गया और एक कट्ठा परती है। उक्त निर्मित मकान पर सभी भाइयों का दखल–कब्जा था। पुनरीक्षणकर्ता रवीन्द्र प्रसाद सरकारी सेवा में पटना में पदस्थापित थो। पुनरीक्षणकर्ता रवीन्द्र प्रसाद के द्वारा एक साजिश के तहत अन्य भाइयों एवं

माता–पिता को जानकारी दिए बिना उक्त जमीन पर बना मकान एवं परती जमीन अपने नाम से दस्तावेजी कूटकरण कर बेईमानी के नियत से पुनरीक्षणकर्ता रवीन्द्र प्रसाद 07.07.2008 को बसीयतनामा बनवा लिये। इस बात की जानकारी होने पर परिवादी का भाई सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता के द्वारा 12.01.2025 को राजीवनगर थाना में लिखित प्रतिवेदन अभियुक्तों/पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध दाखिल किया गया, परन्तु प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। परिवादी, उसकी पत्नी व भाइयों को दखल कब्जा से हटाने के उद्देश्य से पुनरीक्षणकर्ता चन्दा देवी के द्वारा राजीवनगर थाना कांड संख्या 111/2025 दिनांक 14.02.2025 दर्ज कराया गया। इसके बाद परिवादी की पत्नी एवं परिवादी के भाभी रीना देवी के साथ गाली–गलौज, मारपीट तथा धमकी दिया कि घर खाली करो नहीं तो सभी को जान से मार देंगे। इस आशय से संबंधित परिवादी के भाभी रीना देवी के द्वारा भी पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध राजीवनगर थाना कांड संख्या–112/2025 दिनांक 14.02.2025 दर्ज कराया गया है। उक्त षंड्यंत्र की जानकारी अन्य भाइयों को हो जाने पर रवीन्द्र प्रसाद के द्वारा उक्त जमीन एवं मकान का मुख्तारनामा दिनांक 24.04.2025 को अपनी पत्नी चन्दा देवी के नाम कर दिया गया।

3. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उसके तरफ से उक्त आक्षेपित के विरूद्ध कोई अन्य पुनरीक्षण वाद पूर्व में दाखिल नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि परिवादी, पुनरीक्षणकर्ता रवीन्द्र प्रसाद का सहोदर भाई है तथा दोनों के बीच कई जमीन से संबंधित विवाद है। उनका आगे कथन है कि परिवादी द्वारा दाखिल उक्त परिवाद पत्र के आधार विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 336(3), 3(5) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। उनका आगे कथन है कि यह परिवाद 18.07.2025 को दर्ज किया गया है, 19.07.2025 को सुनवाई की गई है तथा दिनांक 16.10.2025, 18.10.2025 को जांच साक्ष्य बंद करते हुए अभियुक्त को नोटिस निर्गत करते हुए 20.12.2025 की तिथि नियत की गई थी। ट्रैकिंग रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपर्याप्त पते के कारण 02.12.2025 को नोटिस प्रेषक को वापस कर दिया गया था जबकि आदेश फलक

20.12.2025 में यह उल्लिखित है कि तामिला रिपोर्ट संलग्न है, जो बिल्कुल गलत है। विचारण न्यायालय का कोई नोटिस पुनरीक्षण्कर्तागण को नहीं मिला है और विद्वान विचारण न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही आक्षेपित आदेश के माध्यम से संज्ञान आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा मननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 79857 / 2025 पर विश्वास करते हुए कथन किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किसी अपराध का संज्ञान अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं लिया जाएगा। उनका आगे कथन है कि परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि यह मामला पूरी तरह से दीवानी विवाद है और पुनरीक्षणकर्तागण एवं विपक्षी संख्या–2 दोनों सगे भाई और भाभी हैं तथा दोनों पक्षों के बीच भूमि विभाजन को लेकर कई मुकदमे चल रहे हैं। आक्षेपित आदेश विधितः सही नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निवेदन है आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश सही एवं उचित है तथा उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

5. उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात अब मुख्य विचारणीय विंदु यह है कि क्या आक्षेपित आदेश अवैध है या उसे पारित करने में अनियमितता की गई है?

6. विचारण न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा परिवादी के शपथ पर बयान एवं जांच साक्ष्य लिए जाने के उपरांत 16.10.2025 / 28.11.2025 को जांच साक्ष्य बंद कर अभियुक्त के विरूद्ध नोटिस निर्गत करने का आदेश किया गया है तथा दिनांक 01.12.2025 को नोटिस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जो भारतीय डाक के द्वारा आर्टिकिल नं0 EF512395074IN, EF12395091IN, EF512395088IN के द्वारा भेजा गया है, जिसका ट्रैकिंग रिपोर्ट विचारण

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित– श्री राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–350/2026

आदेश की तिथिः– 29.08.2026

न्यायालय के अभिलेख पर दस्तावेजों की सूची के साथ 20.12.2025 को प्राप्त हुआ है। उक्त ट्रैकिंग रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण को निर्गत नोटिस अपर्याप्त पते के कारण वापस हो गया है और पुनरीक्षणकर्तागण को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223. शिकायकर्ता की जांचः (1) किसी शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय अधिकार क्षेत्र रखने वाला मजिस्ट्रेट, शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों (यदि कोई हो) से शपथ पर पूछताछ करेगा, और ऐसी पूछताछ का सार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और उ पर शिकायतकर्ता और गवाहों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ''बशर्ते कि मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि आरोपी को सुनवाई हेतु उचित अवसर न दिया जाए।'' इस संबंध में माननीय पटना द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 79857/2025 में प्रतिपादित किया गया है कि बीएनएसएस की धारा 223(1) यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं लिया जाएगा। अतः द0प्र0सं0 की धारा 200 के विपरीत, बीनएनएसएस की धारा 223(1) यह अनिवार्य करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पहले, प्रारंभिक चरण में अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

7. यद्यपि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 मूल रूप से द0प्र0स0 की धारा 200 के प्रक्रियात्मक ढांच पर आधारित है, लेकिन यह इस मायने में अलग है कि यह संज्ञान लेने से पहले शिकायकर्ता और गवाहों की जांच करने की मूल आवश्यकता को बरकरार रखती है, लेकिन आरोपी को अवसर प्रदान करने वाले कुछ अतिरिक्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करके आगे बढ़ती है। जबकि प्रस्तुत मामले में आरोपी/पुनरीक्षणकर्तागण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है और विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा ऐसा न करके धारा 223 एवं 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निर्धारित तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किए बिना, बहुत

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित– श्री राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–350/2026

आदेश की तिथिः– 29.08.2026

ही यांत्रिक तरीके से दिनांक 27.01.2026 का आदेश पारित किया गया है, जो एक गंभीर प्रक्रियात्मक त्रूटि है।

8. तद्नुसार इस पुनरीक्षण वाद को स्वीकार की जाती है तथा विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा परिवाद वाद संख्या–10841(सी)/2025 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.01.2026 को अपास्त की जाती है तथा उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे अभियुक्तगण/पुनरीक्षणकर्तागण को सुनने के पश्चात अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आलोक में संज्ञान आदेश पारित करें। इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें तथा पुनरीक्षण वाद अभिलेख को रिकॉर्ड रूम में जमा कराएं तथा मूल अभिलेख भी वापस करें।

लेखापित एवं सशोधित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्या0–प्रथम
पटना।
29.08.2026

निर्णय/आदेश की तिथि	29.08.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	24.08.2026
अपलोडिंग तिथि	29.08.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक